

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्दादाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदातत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास अगिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 94/2024

वादीगण-

1. भंवरसिंह पुत्र उदयसिंह
  2. राजेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह
  3. प्रहलाद सिंह राठौड़ पुत्र उदयसिंह
  4. दौलत सिंह राठौड़ पुत्र उदयसिंह
- जाति-राजपूत, निवासीगण-गुढारोहिली, तहसील-डेह, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. उदयसिंह पुत्र नाथुसिंह  
जाति-राजपूत, निवासी-गुढारोहिली, तहसील-डेह, नागौर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह।

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित




दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कियत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रवीकार किया मौजा गुढारोहिली सम्बत् 2073-2076 के खाता संख्या 18 व 300 की भूमि में वादीगण संख्या 1 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 उदयसिंह पुत्र नाथुसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भंवरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में गांव गुढारोहिली का खेत खसरा नंबर 243 रकबा 1.2464 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 258 रकबा 10.2547 हैक्टेयर में से 5.3136 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी राजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा गुढारोहिली का खेत खसरा नंबर 569/236 रकबा 5.7735 हैक्टेयर में से 4.3815 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 259 रकबा 2.3067 हैक्टेयर में से 2.1770 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी प्रहलाद सिंह राठौड़ के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में गांव गुढारोहिली का खेत खसरा नंबर 385/166 रकबा 4.1278 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 574/166 रकबा 2.

  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

- 1044 हैक्टैयर पूरा व खेत खसरा नंबर 569/236 रकबा 5.7735 हैक्टैयर में से 0.3237 हैक्टैयर उत्तरी हिरसा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी दौलत सिंह के हक बंट एवं खातेदारी में मौजा गुढारोहिली का खेत खसरा नंबर 191 रकबा 1.6187 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 258 रकबा 10.2547 हैक्टैयर में से 4.9411 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 उदयसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा गुढारोहिली का खेत खसरा नंबर 176 रकबा 4.7105 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 569/236 रकबा 5.7735 हैक्टैयर में से 1.0683 हैक्टैयर मध्य भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. वादी भंवरसिंह व दौलतसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा गुढारोहिली का खेत खसरा नंबर 259 रकबा 2.3067 हैक्टैयर में से 0.1297 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
7. बैंक के रहन खसरा नु के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)
8. नजरीनकशा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
- निर्णय आज दिनांक 13.07.24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल (नागौर)

तीज - मुचलिंग बाबत - खर्चा इसे मुकदमे के मय व भार - सालाना आज की तारीख में तारीख सुनवाई तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखात व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			दर0 तलवाना		
			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल (नागौर)